दावा प्रति पेश की जो शामिल फाईल की गई। मिसल वास्ते आदेश प्रा०पत्र 10 व 151 CPC दिनांक 04-03-20 को पेश हो।

04-03-20 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 10 व सपठित धारा 151 सी०पी०सी०, जवाब प्रा०पत्र, पेश दस्तावेजात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रा०पत्र मे अंकित किया है कि वादीगण के दावा में उल्लेखित कृषि भूमि बाबत पूर्व मे दावा सं० 20/2000 इसी न्यायालय में दायर हुआ जिसमे वादीगण के पिता व चाचा आदि का राउ०र क्लेम खारिज किया जाकर दिनांक 06-07-2010 को निर्णित हो चुका है जिसकी अपील माननीय RAA बीकानेर के न्यायालय में जेरकार है। वादीगण ने अपने दावा की प्लीडिंग मे इस तथ्य को स्वयं स्वीकार किया है। जब न्यायालय RAA में पूर्ववर्ती वाद का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है जिसमें वादगत कृषिभूमि एक समान है तथा पक्षकार वादीगण के पिता व चाचा आदि रहे हैं, ऐसी स्थिति मे वादीगण का वाद पश्चातवर्ती वाद की श्रेणी में होने से यह वाद पूर्णतया बेआधार व बेमानी है। धारा 10 सीपीसी मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद की विषयवस्तु समान हों और दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उनके प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारीगणों के मध्य हो तो उस पर विचाराधीन न्याय का सिद्धान्त बखूबी रूप से लागू होता है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद पूर्णतया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था जो कतई न्यायालय में सुनवाई योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार फरमाया जाकर जब तक पूर्ववर्ती वाद का अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हो जाता, आईन्दा अनुवानी वाद की लम्बित कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |

वादीगण ने अपने जवाब में प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों में से पूर्ववर्ती वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि उत्तरदाता के पिता व चाचा द्वारा जो वाद पेश किया था वह वाद [illegible] के पुराना ख०नं० 66 व 67 श्योजीराम के खातेदारी के बाबत था। श्योजीराम के दो पुत्र दौलाराम व मालाराम हुए। दौलाराम को गत ख०नं० 66 की कृषि भूमि, जिसके वर्तमान ख०नं० 256/308 हुए व मालाराम को गत ख०नं० 67 की कृषि भूमि जिसके वर्तमान ख०नं० 255/307 बने, का पेश हुआ। ख०नं० 66 की भूमि दौलाराम ने भोजाराम नाम के व्यक्ति को दे दी थी। ख०नं० 67 की भूमि मालाराम के नाम चलती रही। लेकिन जब श्योजीराम फौत हुए तब 1/2 हिस्सा मालाराम के नाम दर्ज करते हुए 1/2 हिस्सा दौलाराम के नाम भी राजस्व रेकार्ड में अवैध रूप से दर्ज हो गया जबकि सम्पूर्ण भूमि मालाराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। उक्त विवाद की बाबत वादीगण के पिता व चाचा ने जवाबदावा के साथ इन्द्राज दुरुस्ती बाबत काउन्टर क्लेम पेश किया था। उस वाद कार्यवाही में ख०नं० 67 की 1/2 हिस्सा मालाराम के नाम विभक्त हुई उस विभक्त 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में से वादीगण ने अपने 1/8 हिस्से बाबत घोषणात्मक खातेदारी व चिर:निषेधाज्ञा का यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया [illegible] ने यह कृषि भूमि वर्ष 2012 में क्रय की है ऐसी स्थिति में नये वाद हेतुक वादीगण को प्राप्त हैं। इस प्रकार इस वाद व पूर्ववर्ती वाद की विषयवस्तु, पक्षकार या उनके प्रतिनिधि एक समान नहीं हैं। प्रार्थिया द्वारा न्यायिक उपबन्धों का गलत रूप से अवलम्बन लिया है। हस्तगत वाद व पूर्ववर्ती वाद की विषय वस्तु, पक्षकार एवं चाहे गये अनुतोष एक समान नहीं होने से प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर सव्यय खारिज फरमाया जावे। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने बहस में कथन किया है कि वादीगण का खातेदारी हिस्सा व हक अधिकार अपने पिता में निहित है इसलिए उनका अधिकार व हक हिस्सा पूर्ववर्ती वाद के निर्णय से पूर्णतया प्रभावित होगा जिसका अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद के निर्णय से पेचीदगियां पैदा होंगी। इसलिए पूर्ववर्ती वाद के अन्तिम निर्णय तक हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे। वकील वादीगण ने बहस में जाहिर किया कि पूर्ववर्ती वाद व हस्तगत वाद की विषयवस्तु, पक्षकार एवं चाहा गया अनुतोष एक समान नहीं है तथा प्रार्थिया के खिलाफ नया वाद हेतुक व वादकारण वादीगण को प्राप्त है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अवलोकन किया गया। पूर्ववर्ती दावा सं० 20/2000 अनुवानी हनुमानप्रसाद आदि v/s भंवरलाल आदि धारा 53 RTA के तहत पेश किया गया था जिसमें वादीगण के साथ उनके चाचा पक्षकार (प्रतिवादी) थे जिसमें वादीगण के चाचा आदि ने काउन्टर क्लेम पेश किए वाद खारिज कर मालाराम के वारिसान के अकेलों के नाम खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | मे दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त काउन्टर क्लेम इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिनांक 06-07-10 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी अपील वादीगण चाचा आदि द्वारा न्यायालय RAA बीकानेर में दायर की गई जिसमें कार्यवाही अभी जेरकार है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88,91,92 व 188 RTA का है जिसकी वादग्रस्त कृषि गत ख०नं० 67 के नये बने ख०नं० 255 व 310 है। इस दावा में प्रतिवादी सं० 1 से 6 के अलावा शेष पक्षकारान एक समान है। प्रतिवादी सं० 1 से 6 को वादग्रस्त कृषिभूमि पूर्ववर्ती वाद के प्रतिवादी सं० 1 भंवरलाल पुत्र भगवाना राम पुत्र मालाराम से जरिये विक्रय-पत्र प्राप्त हुई है। उक्त भंवरलाल वादीगण के सगे ताऊ हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती वाद में प्रतिवादी सं० 1 से 6 की ओर से जरिए काउन्टर क्लेम 1 से 6 के अकेले के नाम सम्पूर्ण कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा चाही गई थी जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील वर्तमान में जेरकार है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट प्रकट होता है कि हस्तगत वाद व पूर्ववर्ती वाद की कृषि भूमि एक समान है तथा कुछ पक्षकारों को छोड़कर शेष पक्षकारान या उनके उत्तराधिकारीगण भी समान हैं। पूर्ववर्ती वाद में चाहा गया अनुतोष खाता विभाजन का रहा है परन्तु वादीगण के पिता व चाचा आदि जो स्व० मालाराम के वारिसान हैं, का काउन्टर क्लेम खातेदारी घोषणा बाबत रहा है जो काउन्टर क्लेम दावा की तरह ही होता है। यहां यह भी स्पष्ट परिलक्षित है कि पूर्ववर्ती वाद का निर्णय से वादीगण के हक हिस्से व अधिकार में भी परिवर्तन होगा जिससे सही एवं सटीक निर्णय हस्तगत वाद का नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में हस्तगत वाद कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद के अन्तिम निर्णय तक स्थगित करने बाबत प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र उचित प्रतीत होता है हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने से किसी भी पक्षकार को कोई हानि होने की सम्भावना वर्तमान में प्रतीत नहीं होती बल्कि पूर्ववर्ती वाद के अन्तिम निर्णय के पश्चात हस्तगत वाद के न्याय निर्णय में आसानी रहेगी। इस प्रकार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा 10 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थिया द्वारा पेश प्रा०पत्र धारा 10 व 151 CPC का स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद संख्या 20/2000 अनुकनी हनुमानप्रसाद आदि बनाम भंवरलाल आदि के अन्तिम निर्णय तक स्थगित की जाती है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। | |

उपखण्ड अधिकारी